न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–91/19

1. श्रीमती जीवनी देवी पत्नी बोद्धूराम, जाति माली, निवासी लक्खावाला जोहड़ा तन नवलड़ी, तहसील नवलगढ, जिला झुन्झुनू, राजस्थान।

––अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती चन्दा पुत्री हरिराम उर्फ हीरया,
2. श्रीमती गीता पुत्री हरिराम उर्फ हीरया,
3. श्रीमती संतरा पुत्री हरिराम उर्फ हीरया, समस्त जाति माली, निवासी लक्खावाला जोहड़ा तन नवलड़ी तहसील नवलगढ, जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
4. ग्राम पंचायत नवलड़ी, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत नवलड़ी, तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
5. भागीरथ दत्तक पुत्र मनीराम, जाति माली, निवासी लक्खावाला जोहड़ा तन नवलड़ी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
6. तहसीलदार तहसील नवलगढ, जिला झुन्झुनू राजस्थान।

––रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 03.09.2019

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील न्यायालय तहसीलदार नवलगढ जिला झुन्झुनू के आदेश दिनांक 03.11.2007 (प्रकरण संख्या 8/2007) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के पक्ष में नारानी की मृत्यु होने के आधार पर खोला था जिसको रेस्पोडेन्ट संख्या 4 सरपंच ग्राम पंचायत नवलड़ी द्वारा मामला राजस्व मण्डल में विचाराधीन होने के कारण निर्णय होने तक नामान्तरकरण खारिज किया गया, उपरोक्त आदेश दिनांक 06.11.2006 ग्राम पंचायत नवलड़ी के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ के यहॉ अपील प्रस्तुत की, उपरोक्त अपील पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ ने दिनांक 06.11.2006 को प्रकरण इस आदेश के साथ तहसीलदार नवलगढ को रिमाण्ड किया कि नामान्तरकरण नियमानुसार किसी अदालत में मामला विचाराधीन नही होने पर पुनः जॉच कर पुरा किया जावें, उपरोक्त आदेश की पालना में तहसीलदार नवलगढ द्वारा प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट विवादित भूमि खसरा नम्बर 40 रकबा 1.47 हैक्टयकर के 1/2 हिस्से की रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसको रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपील में पक्षकार नही बनाया जिसकी जानकारी होने पर अपीलान्ट द्वारा दिनांक 15.09.2007 को एक प्रार्थना पत्र आदेश–1 नियम–10 सी.पी.सी. तहसीलदार नवलगढ के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार नवलगढ द्वारा आगामी तारीख पेशी दिनांक 03.11.2007 नियत की तथा उसी रोज प्रार्थना पत्र आदेश–1 नियम–10 पर कोई आदेश पारित नही किया गया, उन्होने कथन किया है कि तहसीलदार नवलगढ द्वारा नियत तारीख

P.T.O.

पेशी दिनांक 03.11.2007 को बदलकर तारीख पेशी दिनांक 18.10.2007 पत्रावली पर अंकित की, जिसकी किसी भी प्रकार से अथवा पक्षकारों के वकील को सूचना नही दी गई एवं बिना कोई सुनवाई किये गैर–कानूनी रूप से बिना किसी फाईडिन्ग के अपीलान्ट प्रार्थनी का प्रार्थना पत्र आदेश–1 नियम–10 सी.पी.सी. खारिज कर दिया जिसकी सूचना अपीलान्ट या उसके वकील को नही दी गई तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 18.10.2007 व 22.10.2007 की दोनों पक्षों की अनुपस्थिति दिखाकर पत्रावली दिनांक 03.11.2007 को निर्णय हेतु अंकित की गई जबकि दिनांक 03.11.2007 की तारीख पेशी दिनांक 15.10.2007 को ही कायम की गई थी, जिससे स्पष्ट जाहिर होता है कि तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा दिनांक 15.10.2007, 18.10.2007 व 22.10.2007 की कार्यवाही बाला–बाला विधि विरूद्ध तरीके से अपीलान्ट प्रार्थीनी एवं उसके वकील को मुगालते में रखकर एक ही रोज में आदेशिका बदल कर की गई है, जो अपीलान्ट के अधिकारों के एवं न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया हैकि नियत तारीख पेशी दिनांक 03.11.2007 को जब अपीलान्ट व उसके वकील न्यायालय तहसीलदार नवलगढ के समक्ष उपस्थित हुये तो वहॉ पर ऑफिस कानूनगो श्री जगदीश प्रसाद माहिच ने अपीलान्ट व उसके वकील को बताया कि आज कोई कार्यवाही नही होगी क्योंकि आज सूर्यमण्डल नवलगढ व पंचायत समिति नवलगढ तहसील परिसर में पटवारी मिटिंग है जिससे आज तहसीलदार पुरे दिन व्यस्त रहेंगे लेकिन अपीलान्ट ने साय 5.30 बजे तक इन्तजार किया तो तहसीलदार मिटिंग मे व्यस्त थे, इसके बाद लगातार सम्पर्क करने के बावजूद अपीलान्ट या उनके वकील को ऑफिस कानूनगो व तहसीलदार द्वारा कोई जानकारी नही दी गई तथा दिनांक 13.11.2007 को जब अपीलान्ट के वकील ने तहसीलदार से सम्पर्क किया तो उन्होने बताया कि पत्रावली में आदेश हो चुका है इससे पूर्व अपीलान्ट व उसके वकील को मुगालते में रखा गया कि पत्रावली मे आगामी तारीख पेशी बता दी जावेगी। उन्होने कथन किया है कि उक्त तथ्य की जानकारी होने पर अपीलान्ट ने नकल प्राप्त की तो समस्त तथ्य की जानकारी हुई कि नियत तारीख पेशी को बदल कर बाला–बाला ही विधि विरूद्ध ढंग से अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया है एवं खसरा नम्बर 40 रकबा 1.47 हैक्टयर भूमि का 1/2 हिस्सा चन्दा, गीता व सन्तरा पु. नारानी के नाम दर्ज करने के आदेश दिनांक 03.11.207 को तहसीलदार पूरे समय मिटिंग में व्यस्त थे, उसके बावजूद पारित किये गये।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नवलगढ ने पत्रावली पर उपलब्ध वास्तविक तथ्यों एवं उपखण्ड अधिकारी नवलगढ के आदेश के विपरित जाकर तथा कानून को ताक में रखकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.11.2007 पारित किया है जो न्याय के विपरित होने से निरस्त होने योग्य है। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नवलगढ ने इस तथ्य पर भी गौर नही किया कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 40 के सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ के समक्ष वाद विचाराधीन है जिसमें स्थगन आदेश भी जारी है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 को पक्षकार बनाने के सम्बन्ध में प्रकरण राजस्व मण्डल में विचाराधीन था ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण की कार्यवाही स्थगित रखा जाना न्यायहित में आवश्यक है वर्ना पक्षकारों में मुकदमें बाजी बढ़ने की प्रबल संभावना है फिर भी उन्होने तमाम तथ्यों को अनदेखा कर नामान्तरकरण

न्यायालय आयुक्त
जयपुर

दर्ज करने का आदेश पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नवलगढ जिला झुन्झुनू द्वारा पारित आदेश अपीलाधीन दिनांक 03.11.2007 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 व 5 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि हस्तगत प्रकरण वादग्रस्त आराजी की खातेदार नारायणी के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में है जिसमें अपीलान्ट का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध या सरोकार नही है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र आदेश--1 नियम--10 खारिज किया गया है तथा अपीलान्ट को जब वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार का कोई लोकस स्टेण्डाई ही नही है तो वह अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश से एग्रीव्ड परसन भी नही है और ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का कानूनन कोई अधिकार नही है जिससे अपीलान्ट की अपील सारहीन व बलहीन होने के कारण खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होात है कि वादग्रस्त आराजी की रिकार्डेड खातेदार नारायणी थी जिसकी मृत्यु होने पर विरासत का नामान्तरकरण पटवारी हल्का द्वारा उसके वारिसान के नाम भरकर ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे सरपंच ग्राम पंचायत नवलडी द्वारा खारिज किये जाने पर उस आदेश के विरूद्ध अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ के समक्ष प्रस्तुत हुई एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ द्वारा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नवलगढ को रिमाण्ड किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नवलगढ द्वारा प्रकरण में वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित प्रभावित पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिया जाकर ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.11.2007 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है। चूँकि अपीलान्ट का वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार का कोई लोकस स्टेण्डाई साबित नही हो पाया है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील सारहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नवलगढ जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.11.2007 को यथावत रखा जाता है।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 03.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर